रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 4

भाग III—खण्ड 4
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 1987/आश्विन 2, 1909
No. 30] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 1987/ASHVINA 2, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1987

आदेश

सं. 5(6)/बी आई एफ आर (बी सी)/87:—औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 27 मई, 1987 में प्रकाशित बोर्ड के आदेश सं. 5(6)/बी आई एफ आर (बी सी)/87, तारीख 27 मई, 1987 को विखंडित करता है।

एस. सी. त्रिपाठी, सचिव

BOARD FOR INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION

New Delhi, the 24th September, 1987

ORDER

No. 5(6)|BIFR(BC)|87.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986), the Board for Industrial and Financial Reconstruction hereby rescinds the Board's Order No. 5(6)|BIFR(BC)|87, dated the 27th May, 1987, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 27th May, 1987.

S. C. TRIPATHI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987